न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-509RAABarmer2025-49RTA223 Peparam Vs Haruram etc

पेपाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासीयान रातड़िया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. हरुराम पुत्र लालाराम
2. जेठाराम पुत्र लालाराम
3. राजुराम पुत्र लालाराम
4. रुखी पत्नि राजुराम
5. सुगनी पत्नि जेठाराम
6. भेराराम पुत्र मगाराम
7. चन्दु पुत्र मगाराम
8. चुनी पुत्री मगाराम
9. तुलछी पत्नि मगाराम
10. गोमी पत्नि खेताराम
11. मोतीराम पुत्र लाखाराम
    जाति जाट निवासीयान रातड़िया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
12. तहसीलदार भणियाणा।
13. शाखा प्रबन्धक एस.बी. आई शाखा फलसुण्ड।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 सहायक कलक्टर भणियाणा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2024 हरूराम व अन्य बनाम भैराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री कैलाश एन. सारण अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 12 मार्च 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2024 अनवान हरूराम व अन्य बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की

राजस्व अपील प्राधिकारी

संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रातडिया पटवार हल्का रातडिया तहसील भणियाणा के खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 16.7540 हैक्टेयर, खसरा नंबर 162 रकबा 9.6153 हैक्टयर आयी हुई है। विवादित भुमि वादीगण/उतरदाता स. 1 का 1/12 हिस्सा, वादीगण/उतरदाता स. 2 से 5 का 1/24 हिस्सा, बनता है, इसी माफिक वादी व प्रतिवादीगण काबिज है तथा रहवासी ढाणिया, पशुबाड़े व टांके बने हुए है । विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रुप से दर्ज है, तथा मौके पर भुमि का मौखिक रुप से बंटवाडा होने से वादी व प्रतिवादीगण के बीच सेढो को लेकर झगड़ा रहता है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भुमि मे एवं उसके कब्जा काश्त मे लगातार दखलंदाजी कर रहै है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है। इस तथ्य को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तनाव कि स्थिति बनी रहती है। इसलिये वादीगण वादग्रस्त आराजी मे अपने हक हिस्से कि भूमि राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगणो से अलग से दर्ज करवाना चाहते है, ताकि वादीगण अपने हिस्से की भुमि को ऋण आदि लेकर उपजाउ बनाकर अधिक मात्रा मे लाभ प्राप्त कर सके। अंत में वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलान्ट / प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2025 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2025 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 133 व 162 (वर्तमान बट्टा नंबरानुसार खसरा न. 953/162, 954/162, 955/162, 956/162, 162/1, 161 957/133, 958/133,) मौजा रातडिया के संबंध में विधि द्वारा स्थापित सुस्थापित प्रकिया से परे जाकर नियम विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार भणियाणा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना को अनदेखा किया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव के तैयारी के वक्त स्वयं मौके पर जाकर दोनो पक्षो के उपस्थिति मे वास्तविक व भौतिक कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडे का विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के बजाय मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है तथा वक्त विभाजन अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना ही नहीं दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार भणियाणा से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे व राजस्व रेकर्ड मे अंतर होने कि वजह से पुनः संशोधित निर्णय डिक्री पारित कि गई, जिससे भी स्पष्ट है कि अदालत ने किसी भी प्रकार रेकर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नही किया गया है व न ही तहसीलदार भणियाणा द्वारा मौके व रेकर्ड का अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2024 अनवान हरूराम व अन्य बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार भणियाणा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 18.07.2025 को अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये थे। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखा गया है। अपीलांट का जहां कब्जा काश्त है, वहां पर ही अपीलांट के हिस्से में भूमि रखी गई है। यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त तहसीलदार द्वारा सड़क के हिस्से की भूमि की गणना में त्रुटि रखे जाने पर, तहसीलदार द्वारा पुनः संशोधित विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय को प्रेषित किया, वह भी अपीलांट के अधिवक्ता की सुनवाई उपरांत स्वीकार किया गया है तथा उक्त पेशी की आदेशिका पर अपीलांट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.07.2025 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार भणियाणा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 18.07.2025 को पक्षकारान् को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए दिनांक 21.07.2025 को मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक पक्षकार की जोत तक आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार भणियाणा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.07.2025 में रास्ते का रकबा अलग नहीं दर्शाये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.07.2025 भी अपीलांट के अधिवक्ता सहित उभय पक्षकारान् की सुनवाई उपरांत उनकी उपस्थिति में स्वीकार किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2024 अनवान हरूराम व अन्य बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अगस्त 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर